

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 शिविर-
शेखरगढ़)

प्रकरण संख्या / 293/2023

दिनांक :- 15/05/2023

उनवान

श्री. शेखर लाल पुत्र
भाग्यता भीणा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाडा

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,
पटवारी हल्का..... चौड..... भू. अ. नि. पीपलुगढ़..... एवं तहसीलदार जहाजपुर की
रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
ग्राम..... सीकली..... प. ह. चौड..... की वर्तमान जमाबन्दी
सम्बत 2074-2077 के खाता संख्या..... 163..... में वर्तमान दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के
आदेश दिये जाते हैं।

क.सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है
नं.	प्रार्थी का नाम	महादेव पुत्र भाग्यता भीणा	शेखर लाल पुत्र भाग्यता भीणा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली शेखर लाल पुत्र भाग्यता भीणा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाडा